







दिनांक Date: July 20, 2023

संदर्भ Ref.: नि.से.वि. ISD/161-A/2023-24

बीएसई लिमिटेड BSE Ltd. बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477

नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड National Stock Exchange of India Ltd. निप्स NEAPS

स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ सिक्योरिटी Security - UBI-AT/BB

महोदया Madam / महोदय Sir,

विषय Subject: Addendum to the Notice of 21st Annual General Meeting of the Bank

संदर्भ Ref. : Our earlier Ref. letter no. ISD/90/2023-24 dated June 20, 2023.

Our earlier Ref. letter no. ISD/118/2023-24 dated July 6, 2023

In furtherance to the above-mentioned references, we submit herewith the Addendum to the Notice of 21st Annual General Meeting of the Bank scheduled to be held on Friday, 4th August, 2023 at 11.00 am (IST) at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

This addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice dated June 23, 2023 and the notes & explanatory statement provided therein.

The said addendum is also available on the Bank's website at https://www.unionbankofindia.co.in/english/general-meeting.aspx or to:

Scan QR Code for the Addendum to the Notice of 21st Annual General Meeting of the Bank:



Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

(सीएस एस. के. दाश CS S. K. Dash) कंपनी सचिव Company Secretary एफ़सीएस FCS - 4085

संलग्न Encl.: यथोक्त As above

Copy to: 1. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai.











बैंक की 21वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना का परिशिष्ट

Addendum to the Notice of 21st Annual **General Meeting of the Bank**









टिप्पणियाँ:

बैंक की 21वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना का परिशिष्ट जिसका आयोजन शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का संभावित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से प्रस्तावित है.

प्रति सदस्य, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जिसमें 23 जून, 2023 की वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, का आयोजन शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को सुबह 11 बजे (आईएसटी) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से प्रस्तावित है, जिसे 06 जुलाई, 2023 को एक ईमेल के माध्यम से बैंक के उन सभी शेयरधारकों को परिचालित किया गया है जिनकी ईमेल आईडी बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के साथ पंजीकृत हैं. उक्त नोटिस को बैंक, स्टॉ क एक्सचेंजों और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइटों पर भी होस्ट किया गया है.

उक्त नोटिस के प्रेषण के पश्चात, श्री प्रकाश बिलयार सिंह को केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ.सं. 6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 14 जुलाई, 2023 के जिरए बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित, के विनियमन 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगामी आम बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जाए.

तदनुसार, निम्नलिखित कारोबार मदों को उपरोक्त सूचना में मद संख्या 9 को विशेष कारोबार के रूप में शामिल किया गया है.

विशेष कारोबारः

मद संख्या. 9:

श्री प्रकाश बलियार सिंह का बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामांकन

एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

"संकल्प लिया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 14 जुलाई, 2023 द्वारा श्री प्रकाश बिलयार सिंह का नामांकन बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में दिनांक 14 जुलाई, 2023 से एवं अगले आदेशों तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर अनुमोदित किया गया है.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**



स्थान: मुंबई (एस.के. दाश) दिनांक: 20.07.2023 कंपनी सचिव

.३ का टिप

कारोबार बैठक के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

- 2. इस परिशिष्ट को 23 जून, 2023 के मूल सूचना और उसमें दिए गए टिप्पणियों और व्याख्यात्मक विवरण का एक अभिन्न अंग माना जाएगा.
- उ. यह परिशिष्ट बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia. co.in पर, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगा.
- 4. आगामी 21वीं एजीएम के लिए निर्धारित और लागू वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, नोट्स और निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सिहत एजीएम की सूचना के इस परिशिष्ट में प्रस्तावित संकल्प के लिए लागू होंगे. इसके साथ ही, प्रस्तावित 21वीं एजीएम के लिए नियुक्त जांचकर्ता 21वीं एजीएम के नोटिस के इस परिशिष्ट में प्रस्तावित संकल्प के लिए जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे.

व्याख्यात्मक विवरण :

मद संख्या 9:

श्री प्रकाश बलियार सिंह का बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामांकन

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना ईएफ. सं. 6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 14 जुलाई, 2023 के माध्यम से श्री प्रकाश बलियार सिंह का बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामांकन दिनांक 14 जुलाई, 2023 से अगले आदेशों तक प्रभावी किया गया है

सेबी यथा संशोधित (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, बैंक के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है.

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री प्रकाश बलियार सिंह के नामांकन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग की गई है.









यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पूर्व, श्री प्रकाश बलियार सिंह भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे. आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और आपने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, यूके से एक वर्ष का एमएससी (वित्त) भी उत्तीर्ण किया है. आपके पास भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों (मुख्य रूप से पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग) के साथ 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है.

आपने अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भारतीय रिज़र्व बैंक का भी प्रतिनिधित्व किया है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंधः शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदः शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षताः शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिताः शून्य
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक श्री प्रकाश बलियार सिंह के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की गयी है और तदनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक के तौर पर आपका नामांकन भारत सरकार द्वारा किया गया है.

श्री प्रकाश बलियार सिंह के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से इस प्रस्ताव में रुचि या दिलचस्पी नहीं है.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की अनुशंसा करता है.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(एस.के. दाश) कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 20.07.2023









ADDENDUM TO THE NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK scheduled to be held on Friday, 4th August, 2023 at 11.00 am (IST) at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

To the Members, Union Bank of India

The Integrated Annual Report of the Bank for the FY 2022-23 including the Notice of Annual General Meeting (AGM) dated June 23, 2023, scheduled to be held on Friday, August 04, 2023 at 11 AM (IST) through VC / OAVM has been circulated by way of an email on July 06, 2023 to all the Shareholders of the Bank whose email IDs are registered with the Bank's Share Transfer Agent, M/s. KFin Technologies Ltd. The said Notice has also been hosted on websites of the Bank, Stock Exchanges and e-voting service provider.

After the dispatch of the said Notice, Shri Prakash Baliarsingh has been nominated by the Central Government as RBI Nominee Director of the Bank vide its notification eF.No. 6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023.

As per the First proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, it is to be ensured that the approval of the shareholders for appointment or reappointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

Accordingly, the following item of business is added in the aforesaid Notice as Item No. 9 as a Special Business.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 9:

Place: Mumbai

Date: 20.07.2023

Nomination of Shri Prakash Baliarsingh as RBI Nominee Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the nomination of Shri Prakash Baliarsingh vide Government of India's Notification eF.No. 6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023 as RBI Nominee Director of the Bank w.e.f. July 14, 2023 and until further orders, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India."

By order of the Board of Directors For UNION BANK OF INDIA

> (S.K. Dash) Company Secretary

NOTES:

- 1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
- 2. This addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice dated June 23, 2023 and the notes & explanatory statement provided therein.
- This Addendum will also be available on the website
 of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the
 website of BSE Limited at www.bseindia.com on the
 website of National Stock Exchange of India Ltd. at
 www.nseindia.com and also on the website of KFintech
 at https://evoting.kfintech.com
- 4. All the processes, notes and instructions relating to attending AGM through VC/OAVM and e-voting / remote e-voting set out for and applicable for the ensuing 21st AGM shall mutatis-mutandis apply for the resolution proposed in this Addendum to the Notice of AGM. Furthermore, the Scrutinizers appointed for the ensuing 21st AGM will act as Scrutinizers for the Resolution proposed in this Addendum to the Notice of 21st AGM.

EXPLANATORY STATEMENT:

Item No. 9:

Nomination of Shri Prakash Baliarsingh as RBI Nominee Director of the Bank

Shri Prakash Baliarsingh was nominated by the Govt. of India as the RBI Nominee Director of the Bank under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023 w.e.f. July 14, 2023 and until further orders.

In terms of First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the nomination of Shri Prakash Baliarsingh as RBI Nominee Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Prior to joining Union Bank of India, Shri Prakash Baliarsingh was Chief General Manager, Department of Regulation, Reserve Bank India. He is a Post Graduate in Political Science and also completed one year M.Sc. (Finance) from







Oxford Brookes University, UK. He has a rich experience of more than 3 decades with various Departments of Reserve Bank of India (majorly with Department of Supervision and Department of Regulation).

He also represented Reserve Bank of India in International Committees.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- » Relationship between directors inter-se: NIL
- » Directorship in other listed entities: NIL
- » Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- » Shareholding in Union Bank of India: NIL
- » The skills/expertise/capabilities of Shri Prakash Baliarsingh as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly nomination of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Prakash Baliarsingh, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

By order of the Board of Directors For UNION BANK OF INDIA

> (S.K. Dash) Company Secretary

Place: Mumbai Date: 20.07.2023